पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 2018 का 1722

==========

विश्वनाथ प्रसाद, स्वर्गीय रामचंद्र राम के पुत्र, निवासी, मोहल्ला- सलिमपुर अहरा, द्वारका नाथ गली, पुलिस स्टेशन-गांधी मैदान, शहर और जिला- पटना के निवासी, वर्तमान में सी/ओ श्री बी.के.सिंह, पहली मंजिल, सुंदरी सदन, जगत नारायण रोड, कदम कुआं, थाना-कदमकुआं, शहर और जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

कमला देवी, पुत्री-श्री राम चंद्रा राम और पत्नी-डॉ. विनय प्रसाद, निवासी- भुत नाथ रोड, पुलिस स्टेशन-अगमकुआं, जिला-पटना के निवासी वर्तमान निवासी ,मोहल्ला- सलिमपुर अहरा, द्वारिका नाथ गली, पुलिस स्टेशन-गांधी मैदान, जिला- पटना

.....उतरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री जे.एस.अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

श्री हिमांशु शेखर, अधिवक्ता

उतरदाताओं के लिएः श्रीमती अर्चना सिंन्हा उर्फ अर्चना शाही, अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता

==========

*भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 227–याचिकाकर्ता एक संयुक्त परिवार का सदस्य होने के नाते, पूरे संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से के लिए एक टाइटल वाद दायर किया– विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्णय के लिए एक प्रोबेट मामला लंबित था– विद्वान उप-न्यायाधीश ने आदेश VI नियम 17 के तहत अपने पिता की मृत्यु के बाद छोड़ी गई संपत्तियों को शामिल करने के लिए वाद में संशोधन के लिए उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, प्रोबेट मामले के अंतिम अधिनिर्णय तक; और विभाजन वाद में कार्यवाही पर भी रोक लगा दी–विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश VI नियम 17 के तहत दायर संशोधन याचिका पर विचार न करके त्रुटि की है–जिला न्यायाधीश को निर्देश के साथ आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया–आवेदन अनुज्ञात किया गया ।**(पैरा 6 से 9)***

*(2005) 12 एस.सी.सी. 503; (2005) 12 एस.सी.सी. 505; 2009 (4) पीएलजआर 918–**निर्भर किया गया।***

*शब्द और वाक्यांश-एक वसीयत की प्रोबेट का मतलब है कि एक वसीयत की वास्तविकता प्रोबेट न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना है; और इस बिंदु पर कोई भी निर्णय संपत्तियों के शीर्षक और स्वामित्व के विवादित प्रश्न पर निर्णय के रूप में नहीं लिया जाएगा। **(पैरा 6)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीख: 29.04.2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रवेश के बिंदु पर सुना गया तथा मैं वर्तमान याचिका को प्रवेश के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूँ।

2. याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत 2009 के टाइटल सूट नंबर 340 में विद्वान उप न्यायाधीश XI, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2018 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा याचिका दिनांक 22.08. 2017 में वादी/याचिकाकर्ता द्वारा वादपत्र में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद कोड) के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर किया गया है। कतिपय टिप्पणियों के साथ निस्तारण किया गया।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वादी/याचिकाकर्ता संयुक्त परिवार का सदस्य है तथा उसने संयुक्त परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्तियों में 1/3 हिस्सा पाने के लिए पटना के विद्वान उप न्यायाधीश-1 के न्यायालय के समक्ष टाइटल सूट संख्या 340/2009 दायर किया था। चूंकि वादी/याचिकाकर्ता को वाद दायर करने के समय सम्पूर्ण संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों के बारे में जानकारी नहीं थी, अतः अन्य सम्पत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर वादी/याचिकाकर्ता ने वाद में उल्लेखित शेष सम्पत्तियों को सम्मिलित करने के लिए वाद में संशोधन हेतु संहिता के आदेश VI नियम 17 के अन्तर्गत 22.08.2017 को याचिका दायर की, जो वाद में उल्लेखित शेष सम्पत्तियों को सम्मिलित करने के लिए थी, जो वादी/याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दावा किए गए हिस्से की मात्रा में संशोधन के लिए भी थी। दिनांक 06.11.2017 को वादी/याचिकाकर्ता की प्रतिवादी/प्रतिवादी-बहन द्वारा उक्त याचिका पर एक प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पिता ने प्रतिवादी/प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 21.03.2014 को एक वसीयत पहले ही निष्पादित कर दी है तथा प्रोबेट केस संख्या 62/2017 भी दाखिल किया गया है, जो कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-XI, पटना की अदालत में निर्णय के लिए लंबित है। विद्वान उप न्यायाधीश ने दिनांक 05.07.2018 के आदेश द्वारा प्रोबेट मामले के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि वास्तव में संहिता के आदेश VI नियम 17 के दायरे और दायरे के संबंध में कानून पर विचार किए बिना एक अजीब आदेश पारित किया गया था।

4. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा है, जिसमें यह देखा गया है कि जहां एक ही संपत्ति के संबंध में, विभाजन के लिए एक मुकदमा और एक प्रोबेट मामला

भी लंबित है, ऐसी स्थिति में विभाजन के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बलबीर सिंह वासु बनाम लखबीर सिंह और अन्य** के मामले में **(2005) 12 एससीसी 503** में रिपोर्ट किया गया था और **निर्मला देवी बनाम अरुण कुमार गुप्ता एवं अन्य, (2005) 12 एससीसी 505** में रिपोर्ट किया गया। इस न्यायालय द्वारा **कृष्णपाल सिंह रघुवंशी बनाम रविन्द्र प्रताप सिंह** के मामले में उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है, जो **2009 (4) पीएलजेआर 918** में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि कानून के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में विद्वान ट्रायल कोर्ट के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह स्वत: संज्ञान द्वारा प्रोबेट मामले के निपटारे के बाद मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन की याचिका और उसके द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार न करे। बंटवारे के मुकदमे में आगे की कार्यवाही पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी कि प्रोबेट केस संख्या 62/2017 के अंतिम निर्णय के पश्चात मामले में आगे की कार्यवाही जारी रहेगी, सरासर अनावश्यक थी तथा इसकी आवश्यकता नहीं थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रस्तावित संशोधन के गुण-दोष पर विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता का हक उसके पिता की मृत्यु के पश्चात मुकदमे की संपत्ति में 1/3 हिस्से के बजाय आधा हिस्सा हो गया, जैसा कि पहले दावा किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रोबेट दिए जाने के पश्चात भी, संपत्ति का शीर्षक तथा स्वामित्व हमेशा शीर्षक मुकदमे का विषय हो सकता है तथा वसीयत के प्रोबेट का किसी संपत्ति पर शीर्षक तथा स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा, यद्यपि यह वसीयत का एक भाग हो सकता है। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश न केवल कानून के विरुद्ध है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि कानून की दृष्टि में भी यह विपरीत है।

5. प्रतिवादी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है। प्रतिवादी/प्रतिवादी मृतक राम चंद्र राम की बेटी है और वादी/याचिकाकर्ता की बहन है। वसीयत का विषय जो संपत्तियां हैं, वे राम चंद्र राम की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं और याचिकाकर्ता का उन पर कोई दावा नहीं है क्योंकि संपत्तियां प्रतिवादी/प्रतिवादी को वसीयत की गई है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस न्यायालय का

निर्णय जो भी हो, प्रोबेट मामले पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इसे आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।

6. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बलबीर सिंह वासु** (सुप्रा) और **निर्मला देवी** (सुप्रा) के मामलों में प्रोबेट कार्यवाही और सिविल मुकदमे को एक साथ करने और सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई और निपटान करने का आदेश दिया। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, मुझे लगता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी/याचिकाकर्ता की संशोधन याचिका पर केवल इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि संपत्तियां भी वसीयत का विषय हैं और प्रोबेट मामले के अंतिम निर्णय से पहले संशोधन याचिका पर कोई आदेश पारित करने के लिए यह उचित चरण नहीं था। जाहिर है, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस बिंदु पर गलती की है और आदेश कानून के स्थापित प्रावधानों के खिलाफ है। यदि संशोधन आवेदन पेश किया गया था, तो विद्वान ट्रायल कोर्ट को इसकी योग्यता के आधार पर इसका निपटारा करना आवश्यक था। भले ही 'वसीयत' के सबूत के सवाल पर प्रोबेट कार्यवाही में निर्णय का विभाजन के मुकदमे पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन प्रोबेट मामले में संपत्ति के शीर्षक और स्वामित्व का निर्णय नहीं हो सकता है। वसीयत की प्रोबेट का मतलब है कि वसीयत की वास्तविकता की जांच प्रोबेट द्वारा की जानी है। न्यायालय और इस बिंदु पर कोई भी निर्णय संपत्तियों के शीर्षक और स्वामित्व के विवादित प्रश्न पर निर्णय के रूप में नहीं लिया जाएगा। इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रोबेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने का हवाला देते हुए कोड के आदेश VI नियम 17 के तहत दायर संशोधन याचिका पर विचार नहीं करने में गलती की है।

7. अतः, विद्वान ट्रायल न्यायालय द्वारा प्रोबेट मामले के अंतिम निर्णय से पहले संशोधन याचिका पर कोई आदेश पारित करने के लिए वर्तमान चरण उचित चरण नहीं होने के बारे में की गई टिप्पणियां संधारणीय नहीं हैं और इसलिए, प्रोबेट केस संख्या 62/2017 के अंतिम निर्णय तक विभाजन मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाना पूरी तरह से अनुचित था।

8. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मैं पाता हूँ और मानता हूँ कि दिनांक 05.07.2018 को टाइटल सूट संख्या 340/2009 में विवादित आदेश पारित करते

समय, विद्वान उप न्यायाधीश-XI, पटना ने अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की और अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से गलती से इनकार कर दिया, इसलिए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

9. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बड़ी संख्या में मुद्दे ओवरलैप होंगे, प्रोबेट कार्यवाही और सिविल मुकदमे को सक्षम न्यायालय द्वारा एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए **बलबीर सिंह वासु**(सुप्रा) और **निर्मला देवी**(सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार। इसलिए, विद्वान जिला न्यायाधीश, पटना से अनुरोध है कि वे टाइटल सूट संख्या 340/2009 को उस न्यायालय में स्थानांतरित करें, जो पहले से ही प्रोबेट केस संख्या 62/2017 में मामले को देख रहा है और संबंधित न्यायालय, सभी मुद्दों पर विचार करते हुए, इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर दोनों मामलों का निपटारा करेगा।

10. तदनुसार, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरूण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।